

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी:- श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :- 65/2021

प्रार्थी:-	बनाम	अप्रार्थीगण:-
1. पदम कंवर पत्नि पूरणसिंह जाति राजपूत नि० सोहनिया, तह० जिला पाली राजस्थान।	1. बालुराम पुत्र गणेशराम जाति बावरी नि० खामल तह० सोजत जिला पाली।	
	2. राजस्थान सरकार मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा सरदार समंद, तह० सोजत जिला पाली।	
	3. तहसीलदार, (भूमिधारक) सोजत	

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित:-

1. श्री गजेन्द्र दवे एवं श्री भगवती प्रसाद चौहान अधिवक्तागण प्रार्थी उपस्थित।
2. श्री सुखदेव, मनोजकुमार, एवं विक्रमसिंह, सुरेन्द्र अधिवक्तागण अप्रार्थीगण उपस्थित।
3. तहसीलदार, सोजत अप्रार्थी संख्या 03 उपस्थित।

:- निर्णय :-

दिनांक :- 27/09/22

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर इस आशय का निवेदन किया कि सरहद मौजा खामल पटवार हल्का खामल तह० सोजत जिला पाली में स्थित अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 688 रकबा 1.1500 हैक्टर बा०दो० की जोत से नया मार्ग हमारे खातेदारी खसरा नंबर 689 रकबा 1.4700 हैक्टर बा०दो० मे जाने हेतु आशय रखते है। प्रार्थी द्वारा राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251 'क' की उपधारा 2 के अधीन अनुज्ञा के लिए न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी की अपनी खातेदारी कृषि भूमि के खसरा नंबर 689 में आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 688 मे से 30 फीट चौड़ा रास्ता जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित किया गया है। उस रास्ते को कानूनन प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 689 में पहुँच हेतु अन्य कोई विकल्प रास्ता नहीं है जिससे प्रार्थी को अपनी खातेदारी कृषि भूमि में काश्त करने मे असुविधा उत्पन्न होती है। प्रार्थी रास्ते के एवज मे अप्रार्थीगण को नियमानुसार राशि उपलब्ध कराने को तैयार है। इस प्रकार अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में वर्णित लाल रंग से दर्शित भूमि खसरा नंबर 688 में से 30 फुट चौड़ा रास्ता प्रार्थी को खसरा संख्या 689 तक आवागमन हेतु उपलब्ध करवाये जाने तथा राजस्व रेकर्ड व राजस्व नक्शे मे तरमीम किये जाने की ईशतदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा० पत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 02 व 3 को बावजूद तामिलि/सूचना बार बार आवाजे दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहनेसे दिनांक 21.02.2022 को एकपक्षिय

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

माही की गई। अप्रार्थीगण संख्या 01 की ओर से श्री सुखदेव, मनोजकुमार, एवं विक्रमसिंह, सुरेन्द्र अधिवक्तागण ने दिनांक 09.02.2022 को वकालतनामा पेश किया, सा0मि0 किया गया। जबाब दावा पेश नहीं करने से जबाब दावा पेश करने का अवसर दिनांक 23.05.2022 को बंद किया गया। तहसीलदार सोजत से वांछित तीनो बिन्दुओं पर मौका जॉच रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार सोजत ने प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय फर्द मौका उनके पत्रांक/राजस्व/2021-22/332 दिनांक 02.02.2022 द्वारा पेश कर अंकित किया, कि ग्राम खामल के ख0 न0 688 रकबा 1.15 है0 भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता प्रार्थीया पदमकंवर पत्नि पूरणसिंह द्वारा ख0न0 689 रकबा 1.4700 है0 आने जाने हेतु रास्ते का मौका देखा गया। वर्तमान में प्रार्थीया की भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थी बालुराम पुत्र गणेशराम जाति बावरी नि0 खामल की खातेदारी कृषि भूमि ख0न0 689 रकबा 1.47 भूमि में से आने जाने हेतु सबसे नजदीक रास्ता है। उक्त भूमि में से 06 मीटर चौड़ा रास्ता चाहा है। अर्थात् प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल 65×6 वर्गमी0 = 390 वर्गमी0 है। उक्त जॉच हमराह भू0अभि0 शिवपुरा, पटवारी हल्का खामल तथा मौतबिरान रुबरु उक्त दूरी संलग्न नजरी नक्शा में लाल स्याही से बिन्दु संख्या ए, बी, सी, डी तक दर्शायी गई है जिसका क्षेत्रफल 390 वर्गमी0 है। प्रार्थी द्वारा हस्ब प्रार्थना पत्र में 30 फुट रास्ता चाहा गया है इस प्रकार सड़क से खसरा नंबर 689 में पहुंचने हेतु खसरा नंबर 688 में से कुल चाहे जाने रास्ते का रकबा 390 वर्गमीटर अर्थात् 0.0390 है0 है। सब रजिस्ट्रार सोजत ने प्रस्तावित प्रार्थित रास्ते की भूमि की वर्तमान डी0एल0सी0

दर 127,575/- रुपये प्रति हैक्टर दर्शाई है।



बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251ए में प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय प्रार्थना पत्र एवं दस्तावेजात तथा मौका रिपोर्ट तहसीलदार, सोजत डी0एल0सी0 दर का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी पर गौर कर मनन किया। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार "1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नहीं है और 2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है,।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी जोत में पहुँच हेतु सुविधाजनक मार्ग हेतु आवेदन किया जाना परिलक्षित नहीं होता है तथा निकटतम मार्ग खसरा नम्बर 688 में से होकर ही पाया जाता है। फलतः इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी न्यायालय के समक्ष Clean Hand से उपस्थित हुए है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के Mandatory Provision को पूर्ण करने तथा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा प्रार्थित रास्ते की भूमि डी0एल0सी0 की दर की दौ गुना प्रतिकर राशि अप्रार्थीगण को भुगतान किये जाने तथा रास्ते की भूमि आवागमन हेतु प्रार्थी को दिलवाया जाना उचित समझते है।

—: आदेश :-

अतः उपरोक्त विवेचना/विश्लेषणानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा खामल पटवार हल्का शिवपुरा तह0 सोजत जिला पाली में प्रार्थी की कृषि जोत भूमि खसरा नम्बर 689 रकबा 1.4700 हैक्टर किस्म बा0दो0 की भूमि में आवागमन हेतु (आने

उपखण्ड आदि
सोजत रा

के रास्ते हेतु) अप्रार्थीगण की कृषि जोत भूमि ख0न0 688 रकबा 1.1500 हैक्टर किस्म ब0दो0 में से 65×6 वर्गमी0 = 390 अर्थात 0.0390 हैक्टर कृषि भूमि की सम्बद्ध निम्नांकित खातेदारानों के नाम के आगे अंकित भूमि प्रतिकर मुआवजा राशि की डी0एल0सी0 दर 127575/- प्रति हैक्टर की दर से दौगुणा राशि (65×6 वर्गमी0 = 390 वर्गमी0 अर्थात 0.0390 है0 \times 1,27,575/-रूपये प्रति0 हैक्टर \times 2 गुना = 9951/- रूपये) अक्षरे नो हजार नो सो इक्यावन रूपये मात्र उनके नाम के सामने अंकित भूमि प्रतिकर देय राशि का भुगतान उनके हिस्सेनुसार तहसीलदार, सोजत द्वारा जरिए डिमाण्ड ड्राफ्ट करवाये जाने पर रास्ते की भूमि उपलब्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र0 सं0	ख0न0 व किस्म	कुल रकबा (है0) में	खातेदारो/काश्तकारो के नाम मय वल्दियत कौमियत व सकूनत	रास्ते की भूमि का रकबा है0 में	प्रतिकर की राशि रूपये में
1	688 ब0दो0	1.1500	बालुराम पुत्र गणेशराम जाति बावरी नि0 खामल तह0 सोजत जिला पाली।	65×6 वर्गमी0 = 390 वर्गमी0 अर्थात 0.0390	9951/-
			अक्षरे नो हजार नो से इक्यावन रूपये मात्र	योग:-	9951/-



तदानुसार राजस्व रेकर्ड, नक्शा में अमल दरामल/तरमीम किया जावें। उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। तहसीलदार, सोजत स्तर पर उक्त आदेश की पालना अर्थात प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जावें। निर्णय की प्रति व मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये। उक्त निर्णय मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार, सोजत को भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 22/12/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)